अनुदान संख्या 17 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 17 - DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged-*		*1,31,00*	*1,11,86*	*- 19,14*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*17,50*
स्वीकृत-	Voted –				
मूल	Original	61701,68,00	73872,95,00	73817,68,99	- 55,26,01
पूरक	Supplementary	12171,27,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				53,58,58
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted –				
मूल	Original	10628,33,00	10628,34,00	10604,49,95	- 23,84,05
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,82,04

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	3804.00	3430.31	3413.91	- 16.40
पु.	R.	- 373.69			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	6163579.00	7377164.17	7377015.19	- 148.98
पू.	S.	1217126.00			
पु.	R.	- 3540.83			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	1306.00				
				..	..	..
पु.	R.	-1306.00				
मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies					
मू.	O.	1411.00				
				1159.98	1159.94	- 0.04
पु.	R.	- 251.02				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	65.00				
पू.	S.	1.00		180.96	179.95	- 1.01
पु.	R.	114.96				

(I) ₹5039.00 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹4814.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य सहायता - टीपीडीएस के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड के आधार पर सुपुर्दगी लागू करने पर प्रायोगिक स्कीम लागू किए जाने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सहायिकी" - ₹3618.00 लाख हरियाणा और चंडीगढ़ से प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण थे ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण" - ₹1196.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे ।

(I) Provision of ₹5039.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these ₹4814.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2408" - "Food - Food Subsidies - Subsidy to State Governments and Union Territories Administration for implementation of a Pilot scheme on introduction of Smart Card based delivery of essential commodities under TPDS" - ₹3618.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-receipt of proposals from Haryana and Chandigarh.

(B) Major Head "2552" - "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage Godowns in NE Region by State Governments" - ₹1196.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग" के अंतर्गत ₹375.94 लाख की बचत (₹3756.29 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने को कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2408" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "खाद्य" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - चीनी निदेशालय" - ₹454.95 लाख की बचत (₹838.52 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रशिक्षण - राष्ट्रीय चीनी संस्थान" - ₹245.23 लाख की बचत (₹1599.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ग) "अन्य व्यय" -

(i) "चीनी का बफर स्टाक बनाए रखने के लिए सहायिकी" - ₹3850.98 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों से त्रुटिपूर्ण दावे प्राप्त होने और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(ii) "निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभार की प्रतिपूर्ति और अन्य अनुमेय दावों की अदायगी" - ₹3500.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित चीनी मिलों से अपेक्षित सूचना, उपयुक्त दस्तावेज और उचित उत्तर प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(iii) "चीनी उपक्रम 2007 को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने संबंधी स्कीम" - ₹3385.00 लाख की बचत (₹8059.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Food and Public Distribution"- saving of ₹375.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3756.29 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and reduction of provision at revised estimates stage.

(III) Under Major Head "2408" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Food" -

(a) "Direction and Administration – Directorate of Sugar" – saving of ₹454.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹838.52 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

(b) "Training – National Sugar Institute" – saving of ₹245.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1599.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, reduction of provision at revised estimates stage and economy measures.

(c) "Other Expenditure"

(i) "Subsidy for maintenance of Buffer Stocks of Sugar"- saving of ₹3850.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to receipt of deficient claims and non-receipt of utilisation certificates from the Sugar Mills.

(ii) "Reimbursement of Internal Transport and freight charges to sugar factories on export shipments and payment of other permissible claims"- saving of ₹3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non-receipt of requisite information, proper documents and suitable replies from the concerned sugar mills.

(iii) "Scheme for extending Financial Assistance to Sugar Undertaking 2007"- saving of ₹3385.00 lakhs (against the

केंद्रक बैंकों से अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने और इसके परिणामस्वरूप दावों का निपटान न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई ।

(खा) ''भंडारण और भांडागार'' -

(क) ''अनुसंधान और मूल्यांकन'' -

(i) ''भारत अनाज प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान'' - ₹101.20 लाख की बचत (₹495.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) ''गुणता नियंत्रण प्रकोष्ठ'' - ₹188.37 लाख की बचत (₹830.23 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को भरे न जाने, अधिशेष कर्मचारियों का पुन: परिनियोजन किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं ।

(ख) ''भांडागार विकास एवं विनियामक प्राधिकरण को सहायता - भांडागार विकास विनियामक प्राधिकरण'' - ₹1080.00 लाख की बचत (मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1301.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 11वीं योजना अवधि के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुमान स्वीकार न किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई ।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3456'' - ''अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने संबंधी स्कीम'' के अंतर्गत ₹355.74 लाख की बचत (₹1320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्राम अनाज बैंकों की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र से भिन्न राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तैयार की जा रही नई योजना स्कीम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित एक योजना उप-स्कीम के प्रस्तावित संशोधन/विलय के कारण हुई ।

sanctioned provision of ₹8059.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-receipt of requisite information from nodal banks resulting in non-settlement of claims.

(B) "Storage and Warehousing" -

(a) "Research and Evaluation" -

(i) "Indian Grain Management and Research Institute" - saving of ₹101.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹495.75 lakhs); and

(ii) "Quality Control Cell" - saving of ₹188.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹830.23 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, redeployment of surplus staff and economy measures.

(b) "Assistance to Warehousing Development and Regulatory Authority -Warehousing Development and Regulatory Authority" - saving of ₹1080.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1301.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2012) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-acceptance of projected estimates by the Department for 11 th Plan period.

(IV) Under Major Head "3456" - "Other Expenditure – Scheme relating to strengthening Public Distribution System" – saving of ₹355.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1320.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to receipt of less proposals from the States other than North Eastern Region for establishment of Village Grain Banks and proposed revision/merger of one plan sub-scheme relating to strengthening of Public Distribution System in the new plan scheme, being formulated under 12th Five Year Plan.

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹258.60 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत से 78 प्रतिशत तक थी ।

(V) Under three heads savings of ₹258.60 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 31 percent to 78 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹12100.39 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में ₹1217127.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

2.(I) The above savings were partly (₹12100.39 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹1217127.00 lakhs in November, 2011 and March, 2012 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य" -

(क) "खाद्य सहायता - खाद्यानों के लेनदेन के संबंध में भारतीय खाद्य निगम और अन्यों को देय सहायिकी" - ₹11484.73 लाख ।

(ख) "अन्य व्यय - नाबार्ड के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को ब्याज संसहायिकी" - ₹500.70 लाख ।

(A) Major Head "2408" – "Food" –

(a) "Food Subsidies - Subsidy payable to Food Corporation of India and others on food grains transactions" - ₹11484.73 lakhs.

(b) "Other Expenditure - Interest Subvention to Cooperative Sugar Mills through NABARD" - ₹500.70 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - नागरिक पूर्ति - अन्य अनुदान - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" - ₹114.96 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹113.95 लाख था।

(B) Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies - Other Grants - Evaluation, Monitoring and Research in Foodgrains Management and Strengthening Public Distribution System" - ₹114.96 lakhs. Actual excess, however, was ₹113.95 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2408" - "भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण" - ₹1195.99 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2408" - "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage godowns in NE region by State Governments" – excess of ₹1195.99 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3456" - "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित स्कीम" - ₹105.68 लाख का अधिक व्यय (₹90.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्राम अनाज बैंक की स्थापना के लिए

(B) Major Head "3456" - "Tribal Area Sub Plan - Scheme relating to strengthening of Public Distribution System"- excess of ₹105.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹90.00 lakhs) was due to

अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

receipt of more proposals for establishment of Village Grain Bank in North Eastern Region.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4408" खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4408" Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	1719.00			
			6195.00	6194.00	- 1.00
पु.	R.	4476.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	5994.00			
			..	..	..
पु.	R.	-5994.00			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	55120.00			
पू.	S.	1.00	54256.96	54255.95	- 1.01
पु.	R.	-864.04			

(I) ₹6244.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :-

(I) Provision of ₹6244.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4408" - "खाद्य - अन्य व्यय - राष्ट्रीय चीनी संस्थान" - ₹130.00 लाख प्रक्रियात्मक विलम्ब की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे ।

(A) Major Head "4408" - "Food – Other Expenditure – National Sugar Institute" – ₹130.00 lakhs – due to non-finalisation of the scheme owing to procedural delay.

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" - "भंडारण और भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम" - ₹5994.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित

(B) Major Head "4552" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India"- ₹5994.00

स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे ।

lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(गा) मुख्य शीर्ष "6860" - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड" - ₹120.00 लाख भारत सरकार के नीतिगत निर्णय की वजह से योजनेतर कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता बंद किए जाने के कारण थे ।

(C) Major Head "6860" – "Sugar – Loans to Public Sector and Other Undertakings -Hindustan Vegetable Oils Corporation Ltd. (HVOC)" – ₹120.00 lakhs – due to discontinuation of financial support in the form of Non-Plan loan owing to policy decision of Government of India.

(II) मुख्य शीर्ष "4408" - "भंडारण और भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत ₹1389.00 लाख की बचत (₹1589.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4408"- "Storage and Warehousing – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Food Corporation of India" - saving of ₹1389.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1589.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards construction of godowns in the North Eastern Region and non-receipt of utilisation certificates.

(III) मुख्य शीर्ष "6860" - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - चीनी मिलों की पुन:स्थापना/आधुनिकीकरण" के अंतर्गत ₹8244.05 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों से प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "6860"- "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Rehabilitation/ Modernisation of Sugar Mills"- saving of ₹8244.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-receipt of proposals from the sugar mills.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7500.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "6860" - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - खोई आधारित सहउत्पादन विद्युत परियोजना के लिए चीनी कारखाने" के अंतर्गत मार्च, 2012 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7499.00 लाख था ।

4.(I) The above savings were partly (₹7500.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2012 under Major Head "6860"- "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project". Actual excess, however, was ₹7499.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4408" - "भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹5994.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4408"- "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage godowns in North Eastern Region by FCI" – excess of ₹5994.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. चीनी विकास निधि:-

चीनी विकास निधि, 1982 (संक्षिप्त रूप में एसडीएफ अधिनियम) की स्थापना चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के साथ-साथ गन्ना विकास तथा अनुदान उपलब्ध कराकर चीनी उद्योग के विकास को परिलक्षित करते हुए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रियायती दरों पर कर्जों के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी। इस निधि का उपयोग चीनी की कीमत में स्थायित्व रखने के लिए बफर स्टाक को बनाने और उसके रख-रखाव के उद्देश्य पर होने वाले व्यय को चुकाने के लिए भी किया जाएगा।

चीनी उपकर नियम, 1982 (जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था) में चीनी कारखानों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लेखाकरण रिपोर्टों और विवरणियों के तरीके, लेखों का रख-रखाव आदि का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उगाही गई और वसूली गई उत्पाद शुल्क की आय के बराबर की राशि, केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित वसूली लागत द्वारा घटाई गई, चीनी विकास अधिनियम, 1982 के खंड 3 के अधीन स्थापित चीनी विकास निधि में जमा की जाएगी।

वर्ष 2011-2012 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

5. Sugar Development Fund:-

Sugar Development Fund, 1982 (briefly the SDF Act) was created for the purpose of rendering financial assistance through loans at concessional rates for rehabilitation and modernisation of sugar factories as well as for sugarcane development and for encouraging research aimed at development of sugar industry by making grant. The fund shall also be applied for defraying expenditure for the purpose of building up and maintenance of buffer stock of sugar with a view to establishing price of sugar.

The Sugar Cess Rules, 1982 (which were made under the Act) provide for the manner of accounting reports and returns to be furnished by sugar factories, maintenance of accounts etc. An amount equivalent to the proceeds of the duty of excise levied and collected under the Act, reduced by the Cost of collection as determined by the Central Governments, shall be credited to the Sugar Development Fund formed under Section 3 of the Sugar Development Act, 1982.

The Account of the Fund for 2011-2012 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	165,12,43
प्राप्तियां	Receipts	864,63,79
अदायगियां	Payments	623,18,82
अंत शेष	Closing Balance	406,57,40